



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 982 / SEIAA/2022

Date: 8/7/22

प्रति,

श्री अनुभव अग्रवाल,  
निवासी ए.टी. एण्ड पोस्ट, ग्राम जैतवारा,  
जिला सतना (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 9234 / 2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अनुभव अग्रवाल, निवासी ए.टी. एण्ड पोस्ट, ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान, उत्पादन क्षमता 26611 टन प्रतिवर्ष, रकबा 7.025 हेक्टेयर, खसरा 4/1क, ग्राम कठारा कोठार, तहसील मझगंवा, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण SEAC समिति की 579 वी बैठक दिनांक 17.06.2022 में अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 734वीं बैठक दिनांक 02.07.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के अंदर से व लीज बाउण्ड्री से लगा हुआ पक्का रोड़ निकल रहा है तथा लीज क्षेत्र के अंदर मकान भी होना परिलक्षित है। सीपीसीबी के दिशा निर्देश एवं माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं। अतः माननीय एनजीटी के उपरोक्त आदेशानुसार निर्धारित दूरी के मापदण्ड के दृष्टिगत उक्त प्रकरण में न्यूनतम क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होना पाया गया है।

अतः संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से 15 दिवस में उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट अभिमत लिया जाये कि इस तरह के प्रकरण में न्यूनतम खनन क्षेत्र पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना उचित होगा अथवा नहीं। तदनुसार तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण Delist किया जाता है तथा संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म से उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण Relist किया जायेगा।

o/c (विकास विभाग)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 983 /SEIAA/2022 दिनांक - 8/7/22  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - सतना (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - सतना (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - सतना (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

o/c (आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी